

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF.....J.M.F.C. Gohad, DIST. BHIND (M.P.)

Case No.....22317

Name and address of the Complainant or report made on.....
श. के. गुप्ता
गोहाद जिला प्रथम थाना
मिर्जापुर रोड 155

Name, parentage, caste and address of accused

राजेश कुमार उराण 3038 नं. निजाम
28 म. कुलशेखरी

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 23/9/16 को समय लगभग 1:30 बजे, स्थान
गोहाद जिला प्रथम थाना अंतर्गत थाना गोहाद में वाहन नं. 1411/96 को बिना
मालिकाना पत्र 7760 के चलाया और इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा
1411/96 MVA के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिष्ठा चाहते हो।

Judicial Magistrate First Class

The plea of the accused and his examination (if any) Gohad dist. Bhind (M.P.)

अपराध स्वेच्छया स्वीकार है।

राजेश कुमार

Judicial Magistrate First Class
Gohad dist. Bhind (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

8/12

निर्णय

(आज दिनांक 26/12 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 MVA के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी 25 जून 2008 को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 MVA के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए कमषः राशि रुपये 1000/- कुल 200 हजार 250 पैसे के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 10 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तपुदा सम्पत्ति वाहन मोटर व्हीकल को MP30 M/K 7760 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकित


Judicial Magistrate First Class
Gopal dist. Bhand (M.P.)